कार्यालय
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962-230065, फैक्स: 05962-232182ई–मेल almoraforestdivision@rediffmail.com

पत्रांक 6515 /18–1 अल्मोड़ा दिनांक 31 / 05 /2022

अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के अन्तर्गत वन पंचायतों के लिये पंचवर्षीय संहत प्रबन्ध योजना तैयार किये जाने हेतु अल्पकालीन निविदा सूचना

महामहिम राज्यपाल उत्तराखण्ड की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा के अन्तर्गत 622 वन पंचायतों की पंचवर्षीय संहत प्रबन्ध योजना तैयार की जानी है। इस योजना को तैयार किय जाने हेतु पंजीकृत एवं अनुभवी एन0जी0ओ0 से दिनांक 15.06.2022 के अपराह्न 03:00 बजे तक प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के कार्यालय में रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट डाक द्वारा निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। उक्त निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त निविदाओं को ही दिनांक 16.06.2022 के अपराह्न 12:30 बजे अधोहस्ताक्षरी द्वारा गठित समिति द्वारा खोला जाएगा। यदि निविदा खोले जाने की निर्धारित तिथि को कोई राजकीय अवकाश घोषित होता है तो निविदायें अगले कार्य दिवस को निर्धारित समय पर खोली जायेंगी। इच्छुक निविदादाता चाहें तो निविदा खोलते समय उपस्थित रह सकते हैं। विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। डाक के बिलम्ब के लिए सम्बन्धित निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होगा। टेण्डर फार्म दिनांक 14.06.2022 तक किसी भी कार्यदिवस को इस कार्यालय से कार्यालय अवधि के दौरान विवरण में अंकित मूल्य एवं देय अतिरिक्त जी0एस0टी0 का नकद भुगतान करने परक्रय किए जा सकते हैं।

क. सं.	कार्य का विवरण	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा धरोहर राशि (रूपये में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रूपये में)
1	2	6	7	8
1	अल्मोड़ा वन प्रभाग के अन्तर्गत आने वाली 622 वन पंचायतों के लिए पंचवर्षीय संहत प्रबंध योजना का निरूपण करना तथा प्रमुख वन संरक्षक वन पंचायत द्वारा अनुमोदन के उपरान्त त्रुटि रहित 15 प्रतियों में बुक तैयार कर उपलब्ध कराना कार्य	06 माह	रु0 15000/–	रु0 1500/– एवं देय अतिरिक्त 18%जी0एस0टी0

निविदा की शर्तें

1. निविदादाता को वर्तमान अवधि के लिए एन0जी0ओ0 कार्य हेतु प्राधिकृत संस्था/विभाग में पंजीकृत होना आवश्यक है। जिसकी **स्व प्रमाणित प्रति टेण्डर के साथ संलग्न** किया जाना अनिवार्य होगा।
2. निविदादाता को वन पंचायतों के लिए पंचवर्षीय संहत प्रबंध योजना को तैयार किये जाने का अनुभव होना आवश्यकीय होगा। जिसके लिए उनके द्वारा टेण्डर के साथ उत्तराखण्ड राज्य अन्तर्गत किसी भी वन प्रभाग में सफलता पूर्वक संहत प्रबंध योजना को तैयार करने के संबंध में सम्बन्धित प्रभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त अनुभव एवं संतोषजनक कार्य करने का **प्रमाण पत्र टेण्डर के साथ संलग्न** करना आवश्यकीय होगा।
3. निविदा के साथ धरोहर धनराशि (नेक जमानत) के रूप में रूपया **15,000.00 (रूपया पन्द्रह हजार मात्र)** की बैंक एफ0डी0आर0/पोस्ट आफिस की एन0एस0सी0/बैंक गारन्टी जो कि प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के नाम बंधक होगी, **उसे टेण्डर के साथ संलग्न किया** जाना अनिवार्य होगा।
4. निविदादाता को **निविदा लिफाफे के बाहर "संहत प्रबंध योजना हेतु निविदा"** लिख कर **पंजीकृत डाक** से उपरोक्त निर्धारित तिथि एवं समय के भीतर इस कार्यालय में निविदा उपलब्ध करानी होगी। डाक विभाग द्वारा किये गये बिलम्ब की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। बिलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर विचार नही किया जायेगा।
5. निविदादाता को इस कार्यालय द्वारा **संहत प्रबंध योजना के लिए विक्रय किये गये टेण्डर फार्म में ही टेण्डर देना होगा।** किसी दूसरे टेण्डर फार्म में निविदा मान्य नहीं होगी।
6. निविदादाता को जी0एस0टी0 तथा आयकर विभाग में पंजीकृत होना चाहिए तथा टेण्डर के साथ **स्व प्रमाणित जी0एस0टी0 तथा पैन कार्ड** की प्रति संलग्न करनी होगी।
7. निविदादाता को पिछले 03 वर्षो का आयकर रिर्टन तथा सी0ए0 द्वारा किये गये ऑडिट रिपोर्ट की बैंलन्स सीट की स्व प्रमाणित प्रति टेण्डर के साथ संलग्न करनी आवश्यक होगी।
8. निविदादाता को एन0जी0ओ0दर्पण में पंजीकृत होना चाहिये तथा **उसकी स्व प्रमाणित प्रति टेण्डर** के साथ संलग्न करनी आवश्यक होगी।
9. निविदादाता को सभी करों एवं व्यय सहित अपनी दरें टेण्डर में देनी होंगी। पृथक से कोई अतिरिक्त कर अथवा व्यय नहीं जोड़ा जाना होगा।

10. किसी भी प्रकार की शर्तिया एवं भ्रामक निविदा मान्य नहीं होगी। ऐसी निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। यदि कहीं कोई कटिंग आदि की गयी हो, तो ऐसे स्थान पर हस्ताक्षर कर कटिंग को प्रमाणित किया जाना होगा।
11. किसी भी निविदा अथवा समस्त प्राप्त निविदाओं को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी द्वारा गठित निविदा समिति के पास सुरक्षित होगा। जिसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।
12. सफल निविदादाता द्वारा तैयार संहत प्रबन्ध योजना का अनुमोदन वन विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा किये जाने के बाद ही बजट उपलब्धता के अनुसार भुगतान किया जायेगा। यदि सक्षम अधिकारी द्वारा संहत प्रबंध योजना में कहीं कोई परिवर्तन किया जाता है, तो निविदादाता द्वारा तदनुसार आवश्यक संशोधन करना होगा। जिसके लिए कोई अतिरिक्त व्यय भुगतान नही किया जायेगा।
13. निविदा के साथ रूपया 100.00 (एक सौ रूपये) का नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर तथा उसमें संलग्न रसीदी टिकट में हस्ताक्षर कर निविदा दी जानी होगी।
14. निविदाता को केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार की किसी भी संस्था में काली सूची के अन्तर्गत न होने का **नोटरी शपथ–पत्र टेण्डर के साथ संलग्न** करना आवश्यक होगा।
15. निविदा के साथ संलग्न सभी वांछित प्रपत्रों के समस्त पृष्ठों पर निविदादाता के हस्ताक्षर होने चाहिये।
16. सफल निविदादाता को कार्यादेश जारी होने के **बाद तत्काल संहत प्रबंध योजना को तैयार किये जाने हेतु कार्यवाही करनी होगी तथा प्रमुख वन संरक्षक,वन पंचायत,उत्तराखण्ड,देहरादून द्वारा संहत प्रबंध योजना के निरूपण के संबंध में जारी अनुदेश जो संलग्नक–1 तथा संलग्नक–2 में निर्धारित प्रारूपों में हैं, के अनुसार प्रभाग की संहत प्रबंध योजना को तैयार किया जाना होगा। इसके अलावा यदि अन्य कोई संशोधन उनके स्तर से जारी किये जायेंगे, तो तदनुसार भी संहत प्रबंध योजना में उनका समावेश किया जाना अनिवार्य होगा।**
17. सफल निविदादाता को कार्यादेश जारी होने के 06 माह के भीतर समस्त कार्य पूर्ण करना होगा, इस तिथि के बाद कार्यपूर्ण न होने पर प्रतिदिन रू0 50.00 प्रति दिन की दर से बिलम्ब शुल्क देना होगा। जो उसके भुगतान बिल से काट लिया जायेगा।
18. सफल निविदादाता को भुगतान करते समय, उसके भुगतान बिल से नियमानुसार जी0एस0टी0 एवं आयकर के टी0डी0एस0 की कटौती की जायेगी।
19. उपरोक्त टेंडर शर्तों को रखने अथवा न रखने के सम्बन्ध में टेंडरदाताओं से किसी भी प्रकार की आपत्तियां स्वीकार्य नहीं होगीं। यदि टेंडरदाता उपरोक्त रखी गयी शर्तों से सहमत है और उसे शर्तें मान्य हैं, तभी उनके द्वारा टेंडर दिया जाय।

(हस्ताक्षर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,अल्मोड़ा।

पत्रांक 6515/18-1 **तद्दिनांकित।**
प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं बृहत प्रचारार्थ हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य वन संरक्षक, कुमॉऊ उत्तराखण्ड नैनीताल।
4. वन संरक्षक, उत्तरी कुमॉऊवृत्त, अल्मोड़ा।
5. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
6. उप वन संरक्षक, आई0टी0सैल कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड देहरादून को इस निवेदन के साथ कि इस निविदा सूचना को विभागीय बैब साईट में अपलोड करने की कृपा करें।
7. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

(हस्ताक्षर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।